भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1638

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव

1638. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:
श्री जी. कुमार नायक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर जिला और ग्राम स्तर पर बैंकिंग सुविधाओं की कमी का आकलन किया है और इस पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई प्रास्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो असेवित ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) कितनी बैंक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है और असेवित क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं, तथा इसके लिए कर्नाटक सहित राज्यवार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ड.) देश में पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों की संख्या कितनी है तथा कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना देश में किसी भी स्थान पर शाखा सहित बैंकिंग आउटलेट खोलने की सामान्य अनुमति प्रदान की है| यह किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए बैंकिंग आउटलेटों की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों, अर्थात 10,000 से कम जनसंख्या वाले केंद्रों (टियर 5 और टियर 6 केंद्रों), में होने के अध्यधीन है।

साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव वाले क्षेत्र में बैंकिंग आउटलेट शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है और इसकी निगरानी संबंधित राज्य सरकार, सदस्य बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) द्वारा की जाती है। बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनुदेशों, अपनी व्यावसायिक योजनाओं और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आलोक में बैंकिंग आउटलेट खोलने के प्रस्तावों पर विचार करते हैं। बैंकिंग आउटलेट खोलने की व्यवहार्यता का और अधिक आकलन करने के लिए बैंक आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार का प्रयास देश के सभी रिहायशी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/व्यावसायिक प्रतिनिधि/इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता की निगरानी जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप द्वारा की जाती है।

जेडीडी ऐप के अनुसार, देश के कुल 6,01,328 रिहायशी गांवों में से, 6,00,750 (99.90%) गांव 5 किमी. के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बीसी/आईपीपीबी) से कवर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में कुल 27,524 रिहायशी गांवों में से 27,514 (99.96%) गांवों को 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट से कवर किया गया है। इन शेष गांवों को भी उपयुक्त बैंकिंग केंद्रों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

कर्नाटक राज्य सहित 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बीसी/आईपीपीबी) द्वारा कवर न किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

*****

दिनांक 10.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1638 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध		
5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा या बीसी या आईपीपीबी केंद्र) द्वारा कवर नहीं किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**बैंकिंग सेवा से वंचित गाँवों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36
2	आंध्र प्रदेश	46
3	अरुणाचल प्रदेश	123
4	असम	23
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	58
8	दादरा और नगर हवेली एंव दमन और दीव	0
9	दिल्ली	0
10	गोवा	0
11	गुजरात	21
12	हरियाणा	0
13	हिमाचल प्रदेश	7
14	जम्मू और कश्मीर	4
15	झारखंड	0
16	कर्नाटक	10
17	केरल	0
18	लद्दाख	22
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	1
21	महाराष्ट्र	34
22	मणिपुर	108
23	मेघालय	5
24	मिजोरम	9
25	नागालैंड	16
26	ओडिशा	14
27	पुडुचेरी	0
28	पंजाब	0
29	राजस्थान	21
30	सिक्किम	1
31	तमिलनाडु	1
32	तेलंगाना	8
33	त्रिपुरा	1
34	उत्तर प्रदेश	2
35	उत्तराखंड	7
36	पश्चिम बंगाल	0
देश का कुल योग		**578**
स्रोत: जन धन दर्शक ऐप		